

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग-३)



क्रमांक एफ ४(९) ग्रावि / ग्रुप-३ / हैल्पलाईन / २००८-०९ जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,

महात्मा गांधी नरेगा,

समस्त राजस्थान,

राजस्थान सरकार।

४ APR 2016

विषय - महात्मा गांधी नरेगा कॉल सेन्टर टोल फी नम्बर-१८००-१८०-६६०६ के स्थान पर नवीन नम्बर १८००-१८०-६१२७ (राजस्थान सम्पर्क) होने के संबंध में।

महोदय,

राज्य रत्तर पर लिये गये निर्णयानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना कॉल सेन्टर निःशुल्क टोल फी नम्बर-१८००-१८०-६६०६ को दिनांक ०१.०४.२०१६ से राजस्थान सम्पर्क में विलय कर दिया गया है तथा परिवर्तीत निःशुल्क टोल फी नम्बर-१८००-१८०-६१२७ है।

- कॉल सेन्टर की सुविधा प्रातः ८ बजे से सायं ८ बजे तक उपलब्ध है।
- महात्मा गांधी नरेगा के लिए निःशुल्क नम्बर डायल करने के पश्चात विकल्प सुनकर ४ नम्बर दबाकर पुनः ४ नम्बर दबायें।
- महात्मा गांधी नरेगा ग्राहक सेवा अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करावें। रोजगार की मांग हेतु जॉब कार्ड का पूरा नम्बर बताना आवश्यक है।
- टोल फी नम्बर पर निम्न सुविधायें उपलब्ध हैं :-
 - महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित जानकारी
 - योजना से संबंधित शिकायत दर्ज कराना
 - रोजगार की मांग दर्ज कराना

नया टोल फी नम्बर- १८००-१८०-६१२७ का पूरे क्षेत्र में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(Signature)
रोहित कुमार
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- १ निजी सचिव, माझ मंत्री महोदय, ग्रावि. एवं पंरावि।
- २ निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि।
- ३ निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- ४ निजी सचिव, पंचायती राज विभाग।
- ५ निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
- ६ वित्तीय राजाहकार, ईजीएस।
- ७ अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम, द्वितीय), ईजीएस।
- ८ अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
- ९ अधिशासी अभियंता (एच), (वी), (ए) ईजीएस।
- १० अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
- ११ विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, समस्त राजस्थान।
- १२ रक्षित पत्रावली।

(Signature)

परिं ० निदे एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस